

Centre has to advise and the Central Government has to intervene. Instead of solving the inter-State problems, it is adding fuel to it. Is it the way to treat the Tamil Nadu people -who have elected 27 Congress M.P.s from that State? I cannot understand. We cannot just close our eyes and make our people suffer. Why is there this step-motherly attitude towards Tamil Nadu? Why is the Central Government not initiating any action against the Karnataka State? The other day the hon. Minister of Agriculture, while speaking in this House, said that he wanted every farmer in India to wear *safari* as he wears. My request to you is that you allow the -Tamil Nadu farmers to wear at least two , pieces, one *dhoti* and one towel. But it doesn't appear that a situation would prevail in which he can wear a dhoti even.

Sir, through you, I want a commitment. This matter has been dealt with so many times and on so many occasions. Our hon. Chief Minister had written a letter to the Prime Minister, Neither the Ptime Minister nor the Government of India nor the Water Resources Minister responded to that. The Water Resources Minister is advocating for the Karnataka Government. Anyway, Sir, I want a commitment from which date it will be implemented. That is ally Sir.

**RE: KIDNAPPING OF A GIRL AT
SUL-TANGANJ BHAGALPUR
DISTRICT OF BIHAR**

श्री जनादेव यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरावणी मेला के अवसर पर भागलपुर के सुल्तानगंज गंगा धाट के किनारे एक लड़की का अपहरण हो गया जो जल धारने के लिए थे बैजनाथ धाम जा रही थी। उस अपहरण के विरोध में सुल्तानगंज के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने धरना दिया। उस धरने पर बैठी महिलाओं पर भागलपुर सदन के एस.डी.ओ. ने इस बर्बरता का कार्य किया जो इस सभ्य समाज में नहीं

किया जा सकता। पहले तो पुलिस से लाठीचार्ज कराया, सैंकड़ों महिलाओं को मार-मार कर अपंग कर दिया। सुल्तान गंज का एक मीणा सिंह है, उस मीणा सिंह को पकड़कर उसका कपड़ा फाड़ दिया, क्लॉथ फाड़ दिया और भीगते हुए थाने ले गए। उसके साथ ही सुबोध चौधरी की बहन सुविधा चौधरी, जो तीन महीने से गर्भवती थी, उसको एस.डी.ओ. ने इतना मारा और थाने ले गया और थाने में इतना मारा कि थाने में ही उस लड़की का गर्भपत हो गया। उसको बचाने के लिए भागलपुर का विधायक अश्विनी कुमार चौबे गया, उसको भी एस.डी.ओ. ने इतना मारा कि एक पैर टूट गया है, माथा फूटा हुआ है, वह अस्पताल में है। यानी एक एस.डी.ओ. जो सरकारी अफसर है, उनका यह कारनामा है कि एक अपहरण की हुई महिला की को वापिस करने के लिए जो धरने पर बैठी हुई महिलाएं थीं, उनको बर्बरता के साथ मारा, उसका साड़ी और ब्लाउज फाड़ और उसके साथ ही उस तीन महीने की गर्भवती महिला को इतनी मार मारी कि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे बदमाश अनुमंडल पदाधिकारी पर 302 का मुकदमा किया जाए क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को धरती पर आने नहीं दिया और इसके साथ-साथ मैं वहां के कलेक्टर से, कमिश्नर से, एस.पी. से मिला, सभी लोगों ने उस अनुमंडल पदाधिकारी के खिलाफ बोला कि वह बदमाश है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उस अनुमंडल पदाधिकारी पर तुरंत मुकदमा चलाया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Before I ask Mr. Jagdish Prasad Mathur to speak, if the House so agrees, I can ask Dr. Biplab Dasgupta to sit on the Chair for some time.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : विष्लव हो जाएगा, बहुत अच्छा है।

[The Vice-Chairman, (Dr. Biplab Dasgupta) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (DR. BIPLAB DASGUPTA): At the very outset, let me tell you that I am feeling, very uncomfortable sitting here because instead of sitting there I am sitting here.

SHRI TRILIKI NATH CHATURVEDI: Now the *viplay* is contained.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, *viplay* has now been highlighted,

RE: HIKE IN SECURITY DEPOSIT FOR LPG CYLINDERS

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं एक आम आदमी की तकलीफ, जो सरकार की कार्रवाई से बढ़ी है, उसकी ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

एल.पी.जी. जिसे आम तौर पर घरेलू गैस कहा जाता है खाना बनाने की, उसके ऊपर जिसे डिपॉजिट कहते हैं, वह दुगुने से ज्यादा कर दिया गया है। पहले 400 रुपए और रेगुलेटर के लिए 50 रुपए यानी 450 रुपए डिपॉजिट लिया जाता था, आज उसे बढ़ाकर 900 और 100 यानी पूरे 1,000 रुपए कर दिया गया है। कहा यह जाता है कि डिपॉजिट है, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसने गैस लिया हो और वह अपना पैसा वापिस लेता हो—या तो दुर्भाग्य से मर जाए या उसको गैस की आवश्यकता न रहे तो हो सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।

तो नॉन-डिपीजिट हैं, वास्तव में वह पैसा जाता है जहां पर से सूद वसूल होता है और सामान्यतः एक डीलर को चलाने के लिए तीन हजार चार हजार कैमैक्शन देने पड़ते हैं और एक हजार रुपया जमा करने के बाद इस प्रकार 30 लाख, 40 लाख रुपया उस पर पहुँच गया। इसका सूद सरकार लेती है और उस सूद में से कमीशन देती है। तो इनडायरेक्ट में होता क्या है, यह पैसा सरकार के पास जाएगा। दूसरे इसका एक पहलू और है कि अब सरकार निजी कम्पनियों को गैस मंगाने और बेचने का अधिकार दे रही है और अब गैस शहर से, कस्बे से आगे बढ़कर छोटे टाउनशिप में और गांव में जा रही है। दिल्ली में रहने वाले के लिए हैं जो माध्यम श्रेणी का आदमी है, मैं मानता हूँ कि मध्यम श्रेणी के व्यक्ति की तीन हजार या चार हजार रुपए तनख्वाह होगी या उसकी इतनी आमदनी होगी। तो इतनी आमदनी वाला भी मुश्किल से हजार रुपया निकाल सकता है। लेकिन जिसकी हजार, बारह सौ रुपया तनख्वाह है, तो उसके लिए तो यह असंभव है। तो मरो अनुरोध है कि सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये और इसको वापिस

ले, नहीं तो घटाया जाना चाहिये। इसके साथ एक बात और जुड़ी है सिलेंडर की कास्ट कितनी होती है? क्या सिलेंडर निजी कम्पनियां बना रही हैं? अगर सिलेंडर की कॉस्ट कम है और पैसा ज्यादा लिया जाता है तो सरकार फिर कमा रही है। फिर निजी कम्पनियां आ रही हैं, तो सरकार ने कह दिया कि - तुम भी इससे कम मत लो। ज्यादा लेंगे। इसका मतलब है कि निजी कम्पनी ने किसी को डीलरशिप दी, 30 लाख, 40 लाख रुपया उस निजी कम्पनी के पास जाएगा और उसमें 10 हजार 15 हजार, 20 हजार रुपया ज्यादा से ज्यादा वह कम्पनी उस डीलर को दे देगा। यह एक कमाई है। तो यह एक प्रकार से पूरा अत्याचार है।

अब एक और रिवाज हो गया है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं तथा मेरे जो साथी है उनके पास भी गैस का कुपन लेने आते होंगे। यहां के एकाध कर्मचारी हैं, वह कहते हैं कि साहब, दे दीजिए, क्योंकि मेरी लड़की की शादी है, और लड़की की शादी में मुझसे यह दहेज में मांग रहे हैं। तो जहां अब तक दहेज में और चीजें मांगी जाती थीं अब उसमें यह चीज भी दहेज में जुड़ गई। ...**(यवधान)...**

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : बैचलर को तो इससे बहुत ही परेशानी है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : बात सच कह रहे हैं। इससे दो परेशानी हैं। एक परेशानी यह है कि मुझे किसी की शादी नहीं करनी है। लेकिन अगर मेरी शादी की इच्छा हो जाए तो मुझे दहेज में कौन देगा।

श्री हंसराज भारद्वाज : आपके दहेज में हम दे देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : यह मजाक की बात नहीं है। ...**(यवधान)...** इन्होंने मजाक किया है तो मैं इनके मजाक का जवाब दे दूँ। एक सज्जन बूढ़े थे। उन्होंने शादी करली। लोगों में उनसे पूछा कि आप गंजे क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि जो नई बीबी है वह मेरे सफेद बाल उखाड़ देती है और जो पुरानी बीबी है वह काले बाल उखाड़ देती है, इसलिए गंजा हो रहा हूँ। तो लिहाजा शादी का इस उम्र में कोई तकाजा नहीं है। मौलाना, करलें, दूसरे करलें। आपको चार शादी एलाउड है, हजूर। अभी तीन और कर लो।

मौलाना ओवैदुल्ला खान आजमी : अगले जन्म में आपकी भी हो जाएगी।